

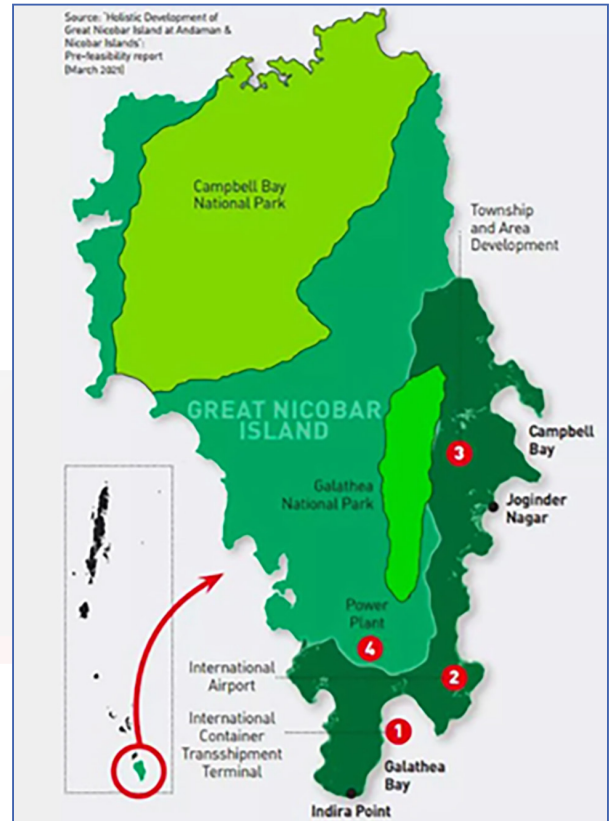
ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना

GNI परियोजना, पर्यावरणीय चिंताओं के बावजूद, ग्रेट निकोबार को IOR में एक वैश्विक समुद्री केंद्र बनाने की एक प्रमुख योजना है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के विकास, पारिस्थितिकी और जनजातीय कल्याण में संतुलन स्थापित किया जाएगा।

- ❖ शुरुआत: वर्ष 2021। संकल्पना: नीति आयोग
- ❖ कार्यान्वयन एजेंसी: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)
- ❖ उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप और गैस-सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण

सामरिक महत्त्व

- ❖ ICTT: विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता में कमी लाने और भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करने में सहायक
- ❖ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा: कनेक्टिविटी, पर्यटन और दोहरे उपयोग वाली रक्षा क्षमता के अभिवर्द्धन में सहायक
- ❖ रणनीतिक अवस्थिति: मलक्का, सुंडा, लॉबोक जलडमरूमध्य के निकट
 - ❖ भारत को सबांग (इंडोनेशिया), कोको द्वीप (म्यांमार) और प्रस्तावित क्रा नहर (थाईलैंड) का सामीप्य प्रदान करता है।
 - ❖ भारत को क्षेत्रीय समुद्री व्यापार के केंद्र में अवस्थित करते हुए कोलंबो, पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर से समदूरस्था।
- ❖ समुद्री सुरक्षा: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की पहली समुद्री रक्षा रेखा हैं। इनकी सीमाएँ म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं बांग्लादेश से लगती हैं और UNCLOS के तहत एक विशाल EEZ और महाद्वीपीय शेल्फ प्रदान करते हैं।
 - ❖ भारत की नौसैनिक पहुँच के सुदृढीकरण में सहायक; समुद्री डकैती, तस्करी, आतंकवाद और महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का निवारण
- ❖ भू-राजनीतिक भूमिका: एक ईस्ट नीति और क्वाड की हिंद-प्रशांत रणनीति के अनुरूप



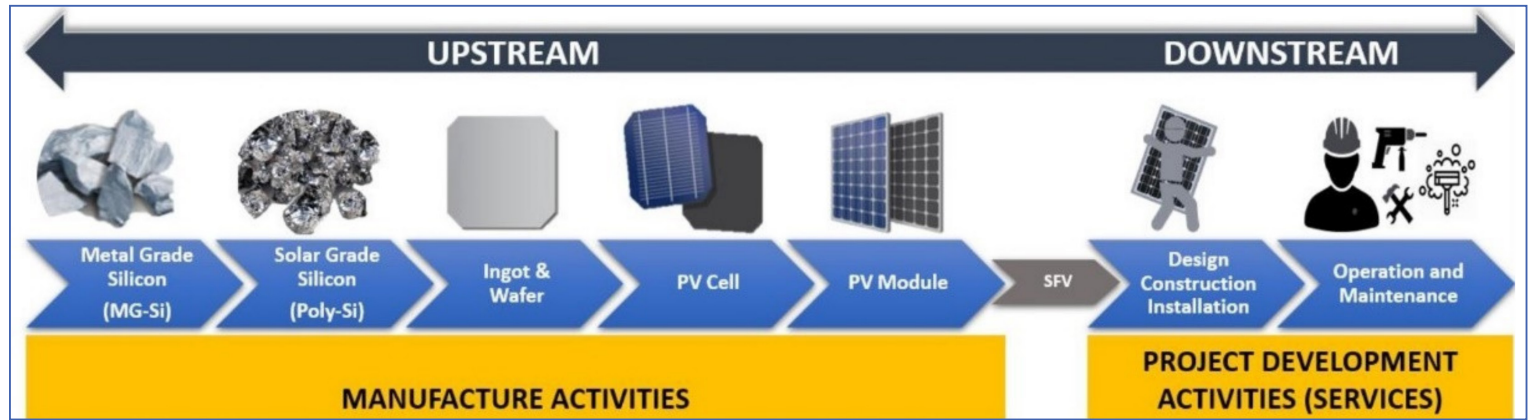
जनजातीय संरक्षोपाय	पर्यावरणीय संरक्षोपाय
❖ परामर्श: जनजातीय कार्य मंत्रालय, अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (AAJVS), अनुच्छेद 338A(9) के अंतर्गत NCST ❖ AAJVS की भूमिका: PVTG का ट्रस्टी; शोपेन जनजाति का कल्याण सुनिश्चित करता है ❖ मार्गदर्शककर्ता: जारवा नीति (2004), शोपेन नीति (2015)	❖ ढाँचा: EIA अधिसूचना, 2006 और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) ❖ वन्यजीव कॉरिडोर: प्रजातियों के सुरक्षित आवागमन के लिये 8 कॉरिडोर का नियोजन ❖ प्रतिपूरक वनरोपण: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 75% से अधिक वन क्षेत्र होने के कारण हरियाणा में नियोजित

- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप शामिल हैं, जो 10° चैनल द्वारा अंडमान (उत्तर) तथा निकोबार (दक्षिण) में विभाजित हैं।
- ❖ ग्रेट निकोबार, सबसे बड़ा निको बार द्वीप, में इंदिरा पॉइंट (भारत का दक्षिणतम छोर) है, जो सुमात्रा (इंडोनेशिया) से 90 समुद्री मील दूर है।
- ❖ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व: वर्ष 2013 में UNESCO के मानव और बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया।

स्वदेशी सौर मूल्य शृंखला

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2028 तक पूर्ण रूप से स्वदेशी सौर विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण की योजना बना रहा है, जिसमें मॉड्यूल, सेल, वेफर्स और इंगोट शामिल होंगे।

- भारत इस क्षेत्र में मुख्यतः आयात पर निर्भर है, विशेष रूप से चीन पर और स्वदेशी पॉलीसिलिकॉन के लिये एक रोडमैप पर कार्य किया जा रहा है।
- सौर मूल्य शृंखला कच्चे माल को सौर PV मॉड्यूल में परिवर्तित करती है, जिसे अपस्ट्रीम (उच्च तकनीक, पूंजी गहन) और डाउनस्ट्रीम (श्रम गहन) खंडों में विभाजित किया गया है।



चुनौतियाँ (HURDLE)	सुझाव (SHINE)
H- High Costs & Scale Issues (उच्च लागत और विस्तार संबंधी समस्याएँ): पैमाने की अमितव्ययिताओं के कारण भारतीय अवयव महंगे हैं। U- Upstream Infra Gaps (अपस्ट्रीम अवसंरचना अंतराल): तकनीक और पूंजी-प्रधान पॉलीसिलिकॉन और वेफर उत्पादन में सीमित घरेलू क्षमता। R- RoW & Land Bottlenecks (RoW और भूमि बाधाएँ): भूमि अधिग्रहण और राइट ऑफ वे (RoW) के मुद्दे परियोजनाओं में बाधक हैं। D- Delayed Power Purchase Agreements (विलंबित विद्युत खरीद समझौते) (PPA): राज्यों/डिस्कॉम द्वारा खरीद में देरी से परियोजना की व्यवहार्यता प्रभावित होती है। L- Lack of Experience (अनुभव की कमी): उन्नत सौर विनिर्माण में सीमित अनुभव। E- Export/Import Dependence (निर्यात/आयात निर्भरता): आयात पर निर्भरता भेद्यता को बढ़ाती है।	S- Sustained Policy Support (सतत् नीतिगत समर्थन): ALMM का विस्तार, स्थिर PLI सुनिश्चित करना, चरणबद्ध सीमा शुल्क; स्पष्ट प्रौद्योगिकी अधिग्रहण योजनाएँ। H- Harness Investment (निवेश का दोहन): ग्रीनफील्ड विनिर्माण का निर्माण, पूंजीगत सहायता प्रदान करना और भूमि/RoW मुद्दों का समाधान। I- Innovation & R&D (नवाचार एवं अनुसंधान और विकास): पेट्रोस्काइट जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना और सहायक उद्योगों का सुदृढीकरण करना। N- Navigate Coordination (समन्वय स्थापित करना): राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना; प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तथा प्रधानमंत्री-KUSUM के साथ संरेखित करना। E- Expand Demand (मांग का विस्तार): नीति और कार्यान्वयन कार्यक्रमों के माध्यम से घरेलू सौर विनिर्माण मांग को बढ़ावा देना।

- भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 251.5 गीगावाट से अधिक हो गई है, जो वर्ष 2030 के लक्ष्य (500 गीगावाट) के आधे से भी अधिक है।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत, 20 लाख रूफटॉप सौर परियोजनाएँ स्थापित की गईं; इसका लक्ष्य 50 लाख संस्थापनाएँ हैं।
- प्रधानमंत्री-KUSUM के अंतर्गत, 16 लाख से अधिक सौर पंप संस्थापित/सौर ऊर्जा से संचालित किये गए, जिससे 13 लाख लीटर डीज़ल की बचत हुई और सालाना 4 करोड़ टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई।

भारत का पहला बाँस-आधारित इथेनॉल संयंत्र

असम के गोलाघाट में उद्घाटित इस संयंत्र में समग्र वर्ष में असम और पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त 5 लाख टन बाँस का उपयोग किया जाएगा, जिससे असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ₹200 करोड़ का योगदान मिलेगा और स्थानीय किसानों तथा जनजातीय समुदायों को लाभ होगा।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन के बाद बाँस वर्तमान में वृक्ष के रूप में वर्गीकृत नहीं है, जिससे इसकी कटाई संभव हो सकेगी और वनवासियों की आजीविका में सहायता मिलेगी।

बायोएथेनॉल

- एक उच्च-ऑक्टेन जैव ईंधन (C₂H₅OH) जो मक्का, गन्ना, अनाज, बाँस और सब्जियों के अवशिष्ट जैसे बायोमास से जैविक रूप से उत्पादित होता है।

- ❖ इसका उपयोग मुख्य रूप से **गैसोलीन योज्य** के रूप में किया जाता है और अब इंजन परिशुद्ध इथेनॉल के दहन में सक्षम हैं।
- ❖ उत्पादन के प्रमुख चरणों में शर्करा का किण्वन, **स्टार्च या सेल्यूलोज** का पूर्वोपचार, **आसवन** और ईंधन-ग्रेड इथेनॉल के लिये निर्जलन शामिल हैं।

भारत की ग्रीन फाइनेंस योजना

भारत ने वर्ष 2030 तक अपने 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के लिये लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का ग्रीन वित्त जुटाने हेतु केंद्रीय तंत्र के रूप में **कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (CfD)** का उपयोग करने की योजना बनाई है।

- ❖ CfD राजस्व को स्थिर करने के लिये **नवीकरणीय उत्पादकों और सरकार** के बीच एक वित्तीय समझौता है।
- ❖ यदि बाजार मूल्य नियत भाव/स्ट्राइक मूल्य से कम है → **सरकार अंतर का भुगतान करती है**; यदि बाजार मूल्य स्ट्राइक मूल्य से अधिक है → **उत्पादक अधिशेष लौटाता है**।
- ❖ इससे जोखिम में कमी आती है; यूरोप में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है।

ग्रीन फाइनेंस

- ❖ इसमें **पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिये अभिकल्पित** वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया जाता है।
- ❖ **भारत को वर्ष 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर** (पेरिस समझौते के लक्ष्य) और **वर्ष 2070 तक 10 ट्रिलियन डॉलर** (नेट जीरो लक्ष्य) की आवश्यकता है।
- ❖ भारत नवीकरणीय ऊर्जा का वित्तपोषण निम्नलिखित माध्यमों से करता है: **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष (NCEEF)**, कोयला उपकरण द्वारा वित्तपोषित।
 - ❖ IREDA रियायती ऋण
 - ❖ RBI द्वारा अनिवार्य PSL
 - ❖ ग्रीन, सामाजिक और सततता (GSS) बॉण्ड
 - ❖ कार्बन बाजार और क्रेडिट तथा ग्रामीण परियोजनाओं के लिये बेटरवेस्ट जैसे क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म।

मानकी-मुंडा व्यवस्था और हो जनजाति

झारखंड के कोल्हान में हो आदिवासियों ने रिक्त पदों, वंशानुगत अक्षमताओं और सुधारों की मांग को उद्धृत करते हुए **मानकी-मुंडा व्यवस्था में कथित हस्तक्षेप का विरोध किया।**

- ❖ **परिचय:** स्वशासन ढाँचा; **मुंडा** (ग्राम प्रधान), **मानकी** (8-15 गाँवों/पीढ़ के मुखिया)। स्थानीय विवादों का निपटारा; **राजस्व, भूमि या कर में कोई भूमिका नहीं।**
- ❖ **ब्रिटिश काल:** कैप्टन थॉमस विल्किंसन (1833) ने व्यवस्था को संहिताबद्ध किया; मुंडाओं और मानकियों को औपनिवेशिक प्रशासन में एकीकृत किया।
 - ❖ निजी संपत्ति, पट्टे और बाह्य लोगों (दिकुओं) के आगमन को बढ़ावा मिला।
- ❖ **स्वतंत्रता पश्चात्:** विल्किंसन के नियमों का अनुपालन अभी भी जारी है; **मोरा हो बनाम बिहार राज्य (2000)** में इसे प्रथा (विधि नहीं) के रूप में मान्यता दी गई।
 - ❖ वर्ष 2021 में झारखंड पहल (न्याय मंच) में सुधार का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसका प्रवर्तन नहीं किया गया।

हो जनजाति

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ नृजातीय समूह: हो या कोल्हा, ऑस्ट्रोएशियाटिक मुंडा नृजातीय समूह हैं; मुख्यतः झारखंड के कोल्हान, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और नेपाल में पाए जाते हैं। ❖ भाषा: हो; देवनागरी, लैटिन, वारंग क्षिति (लाको बोदर द्वारा विकसित स्थानीय लिपि) में लिखित। ❖ इतिहास: 4000-3500 वर्षों से अस्तित्व; दक्षिण-पूर्व एशिया से इनका प्रवास हुआ। <ul style="list-style-type: none"> ❖ विद्रोह: शोषक गैर-जनजातीय जमींदारों (दीकुओं) के विरुद्ध कोल विद्रोह (1831-33), पोराहाट के राजा के अधीन 1857 का विद्रोह। | <ul style="list-style-type: none"> ❖ संस्कृति: पर्व - मागे परब (सृष्टि के सृजनकर्ता देवता का पर्व), बा परब (फूलों का पर्व), सोहराय (कृषि पर्व) और जोमनामा परब (फसल) ❖ संस्कृति का केंद्र नृत्य और संगीत; अखरा (गाँव के मैदान) में आयोजित प्रदर्शन। ❖ अर्थव्यवस्था: <ul style="list-style-type: none"> ❖ 80%+ कृषि में संलग्न; स्थायी कृषि पद्धति अपनाने वाली प्रारंभिक जनजातियों में से एक ❖ कुछ लोग खनन क्षेत्र में नियोजित ❖ साल के वनों पर निर्भर; सागौन के वृक्षारोपण का विरोध किया |
|---|--|

स्कारबोरो शोल

फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल में एक प्राकृतिक अभयारण्य स्थापित करने की चीन की योजना का विरोध किया।

- ❧ यह एक त्रिकोणीय प्रवालद्वीप है, जो फिलीपींस तट से लगभग 200 किमी. दूर है। यह UNCLOS (1982) के अंतर्गत फिलीपींस के EEZ के अंतर्गत आता है।
- ❧ यह अपनी समृद्ध मात्स्यिकी, प्राकृतिक आश्रय और नौवहन मार्गों, जिनसे 3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है, से निकटता के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो भू-राजनीतिक और सैन्य लाभ प्रदान करता है।
- ❧ यह दक्षिण चीन सागर विवादों का हिस्सा (स्प्रेटली और पैरासेल्स सहित) है जहाँ चीन के नौ-डैश दावे का वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के EEZ के संबंध में संघर्ष रहता है।
- ❧ 2016 स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का निर्णय:
 - ❖ इसमें दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों और शोल की नाकाबंदी को अमान्य कर दिया।
 - ❖ इसमें संप्रभुता के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया, जिससे लगातार तनाव बना रहा।



गुरुग्राम में INS अरावली की कमीशनिंग

INS अरावली, जिसका नाम अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है, भारतीय नौसेना का नवीनतम नौसैनिक अड्डा है।

- ❧ गुरुग्राम में अवस्थित नौसेना की यह कमान नियंत्रण, संचार और समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) ढाँचे में सहायक है।
- ❧ 'सामुद्रिकसुरक्षाया: सहयोग' या 'सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा' के आदर्श वाक्य से प्रेरित।
- ❧ यह MAHASAGAR के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का केंद्र होगा।
- ❧ यह IOR में भारत की अधिमानित सुरक्षा भागीदार की भूमिका को प्रतिबलित करता है।